सं. ई-14011(11)/1/2020/हिन्दी/डीजीएचएस/.973-519

भारत सरकार

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(हिन्दी अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 07/12/2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक के संबंध में।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति तिमाही बैठक का आयोजन **दिनांक 16.12.2020 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे** रिसोर्स सेंटर, कमरा सं. 445-ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली में श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, निदेशक की अध्यक्षता में होनी निश्चित हुई है।

2. बैठक की कार्यसूची निम्नवत है:

मद सं. 1	महानिदेशालय के अनुभागों/एककों से प्राप्त सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा: • धारा 3 (3) और नियम 5 का शतप्रतिशत अनुपालन • मूल हिन्दी पत्राचार और टिप्पणियों के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति
मद सं. 2	अनुभागों के राजभाषा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों पर चर्चा
मद सं. 3	महानिदेशालय में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु जारी जांच-बिन्दुओं के अनुपालन की समीक्षा
मद सं. 4	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के तहत विनिर्दिष्ट अनुभागों/कर्मियों द्वारा हिन्दी में किये जा रहे कार्य की समीक्षा
मद सं. 5	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद।

3. समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक के लिए निर्धारित तारीख एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(लक्ष्मी गर्ग)
सहा. निदेशक (राजभाषा)
सदस्य सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

सेवा में,

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी निदेशकगण (सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति)।
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी उपनिदेशकगण (सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति)।
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अनुभाग/प्रभाग अधिकारी (सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति)।

प्रतिलिपि:

(i) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रधान वरि. निजी सचिव को सूचनार्थ।

(ii) उप-महानिदेशक (प्रशा.), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निजी सचिव को सूचनार्थ।

(iii) प्रभारी, आईटी प्रकोष्ठ, स्वा. सेवा महानिदेशालय को महानिदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(iv) अनुभाग अधिकारी, सामान्य अनुभाग, स्वा. सेवा महानिदेशालय को इस अनुरोध के साथ कि हिन्दी अनुभाग को उपर्युक्त बैठक के लिए 03 रीम फोटोकॉपी कागज़ तत्काल उपलब्ध कराएं।